भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2078
07 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

एसएआईएल में गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी नीति

2078. श्री धीरज प्रसाद साहू:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा निगमित कार्यालय तथा सेल की विभिन्न इकाईयों द्वारा सेल की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए जारी की गई स्थानांतरण संबंधी नीति क्या है;

(ख) क्या सेल की इकाईयों में कार्यरत गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के स्थानांतरण की नीति को उसके मान्य संघों तथा उनके प्रतिनिधियों द्वारा मंजूरी दी गई है, यदि हां, तो उस समझौते की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएं; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान संगठनात्मक आवश्यकताओं के तहत कितने गैर-कार्यपालक कर्मचारियों को बोकारो इस्पात संयंत्र से सेल की दूसरी इकाईयों में स्थानांतरित किया गया है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के संयंत्रों/इकाइयों में सभी कर्मचारियों के स्थानांतरण/नियुक्तियां समग्र श्रमशक्ति, विशिष्ट कौशल, दक्षताओं, कार्य अनुभव, पेशेवर/ सांविधिक योग्यताओं इत्यादि के आलोक में संगठनात्मक आवश्यकताओं तथा कंपनी के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुकंपा आधार पर की जाती हैं।

(ख): जी नहीं।

(ग): विगत पांच वर्षों के दौरान संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर बोकारो इस्पात संयंत्र से पांच (5) गैर-कार्यपालक कर्मचारियों का स्थानांतरण/तैनाती की गई है।

****